न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

(1) पत्रावली संख्याः— 61/2017/अपील

रूड़ाराम पुत्र पन्नाराम जाति माली निवासी ढ़ाणी दूदावाली तन हनुमाननगर तहसील खण्डेला जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1. छगनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति सैनी निवासी ढाणी दूदावाली तन हनुमान नगर तहसील खण्डेला जिला सीकर।
2. रमेश सैनी पुत्र श्री बद्रीप्रसाद सैनी निवासी ढाणी ढाणी ईसर सागर तन ग्राम ज्सोतिबा नगर पो0 चोकड़ी वाया गुहाला जिला सीकर।
3. विनोद पुत्र श्री छाजुराम जाति सैनी निवासी ढाणी गुसाई वाली तन ग्राम ज्सोतिबा नगर पो0 चोकड़ी वाया गुहाला जिला सीकर।
4. सीताराम पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सैनी निवासी ढाणी बाढवाली तन ग्राम ज्सोतिबा नगर पो0 चोकड़ी वाया गुहाला जिला सीकर।
5. सुरेश सैनी श्री जगदीश प्रसाद सैनी निवासी ढाणी बाढवाली तन ग्राम ज्सोतिबा नगर पो0 चोकड़ी वाया गुहाला जिला सीकर।
6. राजू सैनी पुत्र श्री मूलाराम सैनी निवासी ढाणी बाढवाली तन ग्राम ज्सोतिबा नगर पो0 चोकड़ी वाया गुहाला जिला सीकर।
7. भोलराम उप सरपंच पुत्र श्री रूडाराम जाट निवासी स्वामी की ढाणी तन ग्राम श्यामनगर पो0 चोकडी वाया गुहाला जिला सीकर।
8. दुलीचन्द मीणा पुत्र श्री छीतर मल मीणा निवासी ढाणी जेफणी तन ग्राम सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया खण्डेला जिला सीकर।
9. सरदार मीणा पुत्र बेगाराम जाति मीणा निवासी ढाणी जेफणी तन ग्राम सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया खण्डेला जिला सीकर।
10. राजू मीणा पुत्र बनवारीलाल मीणा निवासी ढाणी जेफणी तन ग्राम सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया खण्डेला जिला सीकर।
11. राकेश मीणा पहुत्र माडूराम मीणा निवासी ग्राम सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया खण्डेला जिला सीकर।
12. सुरेश मीणा पुत्र सायर मीणा जाति मीणा निवासी ढाणी जेफणी तन ग्राम सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया खण्डेला जिला सीकर।
13. रूडाराम पुत्र गोपीराम सैनी निवासी हाल ढाणी गोबली तन ग्राम ज्योतिबा नगर पो0 चोकडी वाया गुहाला जिला सीकर।
14. रामावतार पुत्र मुगाराम मीण निवासी ढाणी अडवानिया तन ग्राम ज्योतिबा नगर पो0 चोकडी वाया गुहाला जिला सीकर।
15. बाबुलाल सैनी पुत्र ईश्वरलाल सैनी निवासी ढाणी लालाजी वाली तन ज्योतिबा नगर पोस्ट चोकडी वाया गुहाला जिला सीकर।
16. लक्ष्मण पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया खण्डेला जिला सीकर।
17. दीपक सैनी पुत्र सोहन लाल सैनी निवासी ढाणी फतावाली तन ग्राम ज्योतिबा नगर पो0 चोकडी वाया गुहाला जिला सीकरं

18. सीताराम खारवाल पुत्र रामजीलाल खारवाल निवासी ढाणी खारवाल की तन ग्राम सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया खण्डेला जिला सीकर।
19. हरीश चौधरी पुत्र मामराज जाखड जाति जाट निवासी ग्राम सालवाडी पो0 गुमानसिंह वाया खण्डेला जिला सीकर।
20. महावीर प्रसाद खारवाल पुत्र श्री गिरधारीलाल निवासी ढाणी खारवालों क तन ग्राम सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया खण्डेला जिला सीकर।
21. मदनलाल खारवाल पुत्र श्री श्री गिरधारीलाल निवासी ढाणी खारवालों की तन ग्राम सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया खण्डेला जिला सीकर।
22. मालीराम पुत्र पन्नालाल खारवाल निवासी ढाणी खारवालों की तन ग्राम सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया खण्डेला जिला सीकर।
23. पन्नालाल खारवाल पुत्र रामलाल खारवाल निवासी ढाणी खारवालों की तन ग्राम सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया खण्डेला जिला सीकर।
24. राजेन्द्र पुत्र मालीराम खारवाल निवासी ढाणी खारवालों की तन ग्राम सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया खण्डेला जिला सीकर।
25. बाबुलाल खारवाल पुत्र नन्दाराम खारवाल निवासी ढाणी खारवालो की तन ग्राम सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया खण्डेला जिला सीकर।
26. हीनादेवी पत्नी बाबुलाल खारवाल निवासी ढाणी खारवालो की तन ग्राम सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया खण्डेला जिला सीकर।
27. मुकेश कुमार खारवाल पुत्र श्री रामचन्द्र खारवाल निवासी ढाणी खारवालो की तन ग्राम सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया खण्डेला जिला सीकर।
28. प्रभु खारवाल पुत्र हणमान खारवाल निवासी ढाणी खारवालो की तन ग्राम सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया खण्डेला जिला सीकर।
29. सोनाराम खारवाल पुत्र गिरधारी खारवाल निवासी ढाणी खारवालो की तन ग्राम सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया खण्डेला जिला सीकर।
30. कैलाश चन्द पुत्र सुवालाल खारवाल निवासी ढाणी खारवालो की तन ग्राम सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया खण्डेला जिला सीकर।
31. शिशुपाल पुत्र सुवालाल खारवाल निवासी ढाणी खारवालो की तन ग्राम सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया खण्डेला जिला सीकर।
32. बनवारीलाल जाट पुत्र गुगूराम जाति जाट निवासी ढाणी खारोडी तन ग्राम ज्योतिबा नगर पोस्ट चोकडी वाया गुहाला जिला सीकर।
33. रूडाराम डूँगरी पुत्र मांगुराम माली जाति माली निवासी डूँगरी तन ग्राम ज्योतिबा नगर पो0 चोकडी वाया गुहाला जिला सीकर।
34. मोहनलाल मीणा पुत्र लिछमणराम जाति मीणा निवासी सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया खण्डेला जिला सीकर।
35. मक्खन डूगरी पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी डूँगरी तन ग्राम ज्योतिबा नगर पो0 चोकडी वाया गुहाला जिला सीकर।
36. राकेश मीणा पुत्र माधुराम मीणा निवासी सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया खण्डेला जिला सीकर।
37. श्रीकिशन पुत्र श्योलाराम जाति जाट निवासी सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया खण्डेला जिला सीकर।
38. औमप्रकाश मीणा पुत्र उमराव मीणा निवासी सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया खण्डेला जिला सीकर।

39. लक्ष्मीनारायणी पुत्र मूलाराम मीणा निवासी ढाणी बीड की तन ग्राम सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया गुहाला जिला सीकर।
40 अशोक मीणा पुत्र मांगुराम मीणा निवासी ग्राम सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया गुहाला जिला सीकर।
41. मुक्तिलाल पुत्र मेघाराम मीणा निवासी ढाणी बीड की तन ग्राम सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया गुहाला जिला सीकर।
42. लीलाधर मीणा पुत्र सुण्डाराम मीणा निवासी ढाणी बीड की तन ग्राम सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया गुहाला जिला सीकर।
43. राजेन्द्र प्रसाद जाट पुत्र पोखरमल जाति जाट निवासी ढाणी सालवाडी पो0 ढाणी गुमानसिंह वाया खण्डेला जिला सीकर।
44. रतनी सैनी सरपंच ग्राम पंचायत चौकड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर।
45. रामचन्द्र पुत्र पन्ना जाति माली निवासी हनुमान नगर पटवार हल्का चौकडी तहसील खण्डेला जिला सीकर।
46. हरीराम पुत्र पन्ना जाति माली निवासी हनुमान नगर पटवारी हल्का चौकडी तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट्स

(2) पत्रावली संख्याः— 78/2018/आवेदन कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट

छगनलाल पुत्र रामचन्द्र सैनी जाति माली निवासी दूदावाली ढ़ाणी तन हनुमाननगर (चौकड़ी) तहसील खण्डेला जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1. रूड़ाराम पुत्र पन्नाराम जाति माली निवासी ढ़ाणी दूदावाली तन हनुमाननगर (चौकड़ी) तहसील खण्डेला जिला सीकर
2. गुलाबचन्द पुत्र रूड़ाराम जाति माली निवासी ढ़ाणी दूदावाली तन हनुमान नगर (चौकड़ी) तहसील खण्डेला जिला सीकर
3. छोटुराम सैनी पुत्र रूड़ाराम जाति माली निवासी ढ़ाणी दूदावाली तन हनुमान नगर (चौकड़ी) तहसील खण्डेला जिला सीकर
4. नानची पत्नी श्री छोटुराम निवासी ढ़ाणी दूदावाली तन हनुमान नगर (चौकड़ी) तहसील खण्डेला जिला सीकर
5. झूमादेवी पत्नी श्री रूड़ाराम निवासी ढ़ाणी दूदावाली तन हनुमान नगर (चौकड़ी) तहसील खण्डेला जिला सीकर
6. कैलाश चन्द पुत्र श्री रूड़ाराम निवासी ढ़ाणी दूदावाली तन हनुमान नगर (चौकड़ी) तहसील खण्डेला जिला सीकर
7. गेन्दूड़ी देवी पत्नी श्री कैलाशचन्द निवासी ढ़ाणी दूदावाली तन हनुमान नगर (चौकड़ी) तहसील खण्डेला जिला सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.05.2017 प्रकरण संख्या 01/2017 अनुवानी रमेश बनाम रूड़ाराम वगै0 द्वारा न्यायालय तहसीलदार खण्डेला एवं आवेदन कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट

वकील अपीलांट श्री लक्ष्मणसिंह सुण्डा
वकील रेस्पोडेंट श्री शम्भुदयाल सैनी

निर्णय   दिनांकः–28.01.2020

दोनों प्रकरण एक समान होने के कारण एक ही निर्णय से निर्णित किये जा रहे है। संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 46, 47 रामचन्द्र व हरीराम के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 670 रकबा 1.11 हैक्टर, ख0नं0 671 रकबा 1.0200 है0, ख0नं0 672 रकबा 0.6900 है0, ख0न0 673 रकबा 0.25 है0, ख0न0 674 रकबा 0.92 है0, ख0 नं0 675 रकबा 0.2100 है0, ख0 नं0 676 रकबा 0.8300 है0, ख0नं0 677 रकबा 0.3000 है0, ख0नं0 678 रकबा 0.0800 है0 गे0मु0 आबादी, ख0नं0 679 रकबा 0.0400 है0, ख0 नं0 680 रकबा 0.3000 है0, ख0नं0 681 रकबा 1.4200 है0, ख0नं0 684 रकबा 0.0500 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 7.2200 हैक्टर तन ग्राम हनुमान नगर स्थित है जिनका अभी तक नियमानुसार बटवारा नही हुआ है व बटवारे का दावा सक्षम न्यायालय एसीएम खण्डेला के यहा विचाराधीन है। उपरोक्त विर्णत आराजियात मे से ग्राम हनुमान नगर, ग्राम पंचायत चौकडी के लोगो का व अन्य लोगो का कोई सार्वजनिक रास्ता उपरोक्त वर्णित आराजियात मे से नही होते हुये भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 छगनलाल व अन्य रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 45 ने सर्वथा झुठा व गलत आवेदन सर्वथा नया रास्ता कायम करने की नियत से श्रीमान तहसीलदार खण्डेला को सम्बोधित करते हुए उप खण्ड अधिकारी खण्डेला को दिनांक 25.02.2017 को कैम्प महरो की ढाणी में प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार खण्डेला को कार्यवाही अन्तर्गत धारा 251 करने हेतु भेजा जिस पर तहसीलदार खण्डेला ने मुकदमा नं0 1/2017 अनुवानी रमेश आदि बनाम रूडाराम आदि अ0 धारा 251 रा0 टिनेन्सी एक्ट कायम कर कार्यवाही प्रारम्भ की जिस पर अपीलान्ट को नोटिस प्राप्त होने पर जवाब प्रस्तुत किया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारान की नियमानुसार साक्ष्य लिए बिना ही केवल मात्र बहस सुनने का उल्लेख करते हुये अपनी मर्जी मुताबिक विरूद्ध कानून दिनांक 15.05.2017 को रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 45 द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 46 व 47 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 670 लगायत 680, 681 व 684 कुल किता 13 तन ग्राम हनुमान नगर तहसील खण्डेला मे से सार्वजनिक रास्ता कायम करने का निर्णय पारित कर दिया। धारा 251 राज0 टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के अनुसार केवल मात्र किसी खसरा नम्बर के खातेदार का रास्ता अवरूद्ध होने की स्थिति में व धारा 251 राज0 टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रास्ता खुलवाने की कार्यवाही कर सकता है क्षेत्राधिकार अन्तर्गत धारा 251 राज0 टिनेन्सी एकट के प्रावधानो के अनुसार योग्य अधिनस्थ तहसीलदार खण्डेला का नही होते हुये भी विरूद्ध कानून व बिना क्षेत्राधिकार अपना निर्णय दिनांक 15.05.2017 पारित किया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.05.2017 बिल्कुल वेग व अस्पष्ट है जिसमें योग्य अधीनस्थ तहसीलदार ने केवल मात्र पटवारी हल्का चोकडी द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका दिनांक 01.03.2017 तन ग्राम हनुमान नगर में दर्शाये गये रास्ते के अनुसार रास्ते का अवरोध हटाया जाकर पूर्व स्थिति कायम किए जाने का आदेश पारित किया गया है जबकि पटवारी हल्का द्वारा की गई कार्यवही मौका रिपोर्ट दिनांक 01.03.2017 न तो अपीलान्ट की उपस्थिति में की गई है और न उसे मौके की कार्यवाही बाबत कोई सूचना ही दी गई थी उक्त रिपोर्ट दिनांक 01.03.2007 पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्टान संख्या 46 व 47 की

साजिश से सर्वथा गलत व एक पक्षीय तैयार की है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.02.2017 को पटवार हल्का को केवल प्रकरण में अंकित तथ्यो की मौका एवं रिपोर्ट के अनुसार जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया था जबकि आवेदन में केवल हनुमान नगर, ग्राम चौकड़ी के लोगो की ओर से आवेदन रास्ता खुलवाने बाबत प्रस्तुत किया था तथा पटवारी हल्का ने अपनी मर्जी मुताबिक ग्राम ज्योतिबा नगर हनुमान नगर (पंचायत चौकडी) की ढाणियों के निवासियो के लिए ग्राम चला को जाने के लिए उक्त खातेदारी भूमि मे से रास्ता चाहा जाने का उल्लेख किया है व 3–4 किलोमीटर की दूरी कम होना बताते हुये बिना किसी आधार के पुराना रास्ता मानकर उक्त रास्ता ग्राम चला के लिए बताते हुये उसे उट गाडी व पैदल आने जाने के लिए खुलवाने की राय प्रकट की है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने उसकी साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई मौका दिए बिना ही निर्णय जेर अपील पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय व न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ तहसीलदार खण्डेला द्वारा पारित निर्णय जेर अपील दिनांक 15.05. 2017 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2017 में अंकित किया गया है कि "अप्रार्थीगण रूड़ाराम, रामचन्द्र व हरिराम जो भूमि खसरा नम्बर 672, 673, 677, 678, 680, 681 के सहखातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि से होकर चला को रास्ता जाता था जिसमें से उंट गांड़ी व पैदल आने जाने वाले पास पड़ौसी ढ़ाणीयों के निवासी आगे ग्राम सालवाड़ी, ढ़ाणी गुमानसिंह, कोटड़ी लुहारवास से ग्राम चला के लिए आने जाने का सीधा निकलता था उसे 4–5 वर्ष पूर्व उक्त खातेदारान ने बन्द कर दिया है। पटवारी रिपोर्ट से प्रार्थी के कथन साबित होते है। आस–पास के कुल 64 व्यक्तियों ने शपथ–पत्र इस आशय के पेश किये है कि रास्ता चलन मे था तथा वर्षो पूर्व कदीमी रास्ता जिसको अप्रार्थीगण द्वारा पगडण्डी का रूप दे दिया है। अप्रार्थीगण रामचन्द्र व हरिराम जो इन भमियों में सहखातेदार है इन्होने जवाब पेश किया है तथा उसमें अंकित है कि रास्ता पूर्व में चालू था। रूड़ाराम ने अपनी हठ धर्मिता के कारण रास्ता पर अतिक्रमण कर संकरा किया है। साथ ही जवाब में अप्रार्थीगण रामचन्द्र व हरिराम ने यह भी उल्लेख किया है कि रास्ता से अतिक्रमण हटाकर आवागमन योग्य बनाया जाता है, तो उनको कोई आपत्ती नहीं है। अप्रार्थी रूड़ाराम द्वारा प्रस्तुत मेजरनामा व दीगर लोगो द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र प्रकरण को मात्र देरी ना करने की नियत से पेश किया जाना प्रतीत होता है। पटवारी रिपोर्ट, अप्रार्थी रामचन्द्र व हरिराम के द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा पत्रावली पर पेश शुदा 64 लोगों के शपथ–पत्रों से प्रकरण में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती है, रास्ता पूर्व में चालू होना तथा बाद में अप्रार्थी रूड़ाराम द्वारा संकरा किये जाने की पुष्टि होती है। तथा दोनों सहखातेदार रामचन्द्र व हरिराम भी रास्ता को संकरा कर पगडण्डी का रूप दिये जाने की पुष्टि अपने जवाब में कर चुके है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आरटीएक्ट स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रकरण के विषय में पटवारी हल्का चौकड़ी द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका दिनांक 01.03.2017 तन ग्राम हनुमान नगर में पटवारी हल्का द्वारा दर्शाये गये रास्ते के अनुसार रास्ता का अवरूध हटाया जाकर पूर्व स्थिति कायम किया जावे। गिरदावर हल्का चौकड़ी को पालना हेतु लिखा जावे।"

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर प्रकरण राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर हल्का पटवारी से जांच रिपोर्ट ली गई। उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण व सहखातेदारों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये एवं जवाब नोटिस पेश किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस को रिकॉर्ड पर लिया जाकर उसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 01.03.2017 का अवलोकन करने पर रिपोर्ट में अंकित किया हुआ है कि "प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की सहखातेदारी रूड़ाराम रामचन्द्र हरिराम पुत्रगण पन्ना कौम माली सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता ग्राम ज्योतिबानगर, हनुमाननगर की ढ़ाणियों के निवासियों के लिए ग्राम चला को जाने के लिए उक्त खातेदारी भूमि में से होकर बताया गया। चाहा गया रास्ता करीब 3–4 कि.मी. की कम दूरी में चला पहुंचने का रास्ता निकाला जा सकता है। उक्त खसरा नम्बर में चाहा गया रास्ता मौके पर खसरा नम्बर 677, 680, 681 में से पगडण्डी के रूप में रास्ता बना हुआ है लेकिन चौपहिया वाहन आदि साधन ले जाना सम्भव नहीं है। ढ़ाणी दूदावाली के पुराने कुए तक पगडण्डी का रास्ता है एवं पुराने कुए से आगे के खसरा नम्बर 672, 673, 678 में मौके पर सींव पर पगडण्डी के रूप में रास्ता चालू है, जिसमें से साधन आदि नहीं आ जा सकते है। मौके पर उपस्थित ने बताया कि उपरोक्त वर्णित आराजियात में से होकर ग्राम चला के लिए रास्ता था जिसमें से उंटगाड़ी व पैदल आने जाने वाले पास पड़ौस की ढ़ाणी वासियों एवं आगे के ग्राम सालवाड़ी, ढ़ाणी गुमानसिंह, कोटड़ी लुहारवास से ग्राम चला के लिए आने जाने का सीधा रास्ता निकलता था जिसे करीब 4–5 वर्ष पूर्व उक्त खातेदारान ने रास्ते को बन्द कर दिया एवं काश्त करने लग गये। उपस्थित मौतविरान ने उक्त खातेदारी भूमि में से पुनः रास्ता खुलवाकर चालू करवाना चाहा है।"

पत्रावली पर उपलब्ध अप्रार्थी रामचन्द्र व हरिराम पुत्रगण पन्नाराम की और से प्रस्तुत जवाब आवेदन का अवलोकन करने पर जवाब आवेदन में अंकित किया हुआ है कि "हल्का पटवारी की रिपोर्ट में बताये गये खसरा नम्बर 672, 673, 678, 680, 681 जो जवाबदेहन्दा व रूड़ाराम की पुश्तैनी भूमि है जिसमें से जवाबदेहन्दागण का 2/3 व रूड़ाराम का 1/3 हिस्सा है में अपने पुश्तैनी काल से ही विवादित खसरा नम्बर से चला की ओर से नदी की ओर स्थित ढ़ाणियों के लोगो के लिये यह रास्ता विद्यमान था, परन्तु रूड़ाराम ने अपनी हठधर्मिता के कारण रास्ते पर अतिक्रमण कर रास्ते को सकरा पगडण्डी का रूप दे दिया जिससे अन्य लोगों ही नहीं जवाबदेहन्दागण का भी अपनी भूमि पर व घरों में आना जाना मुश्किल हो गया है। अतः विवादित कदीमी रास्ता पर अतिक्रमण कर सकरा किये गये रास्ते से अतिक्रमण हटाकर रास्ते को वाहन आवागमन योग्य बनाया जाता है तो जवाबदेहन्दागण की भूमि से अतिक्रमण हटा दिया जावे।"

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अंकित किया गया है कि विवादग्रस्त आराजियात में अप्रार्थीगण रूड़ाराम रामचन्द्र व हरिराम सहखातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि से होकर चला को रास्ता जाता था जिसको 4–5 वर्ष पूर्व उक्त खातेदारान ने बन्द कर दिया है। रास्ता चलन में था। वर्षो पूर्व कदीमी रास्ता जिसको अप्रार्थीगण द्वारा पगडण्डी का रूप दे दिया है। इस प्रकार योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नया रास्ता कायम करने का आदेश नहीं दिया बल्कि पहले से प्रचलित रास्ते को बन्द करने हेतु लगाई बाधा को हटाने का आदेश दिया है। धारा 251 आरटीएक्ट में पूर्व प्रचलित रास्ते की बाधा हटाने की शक्ति तहसीलदार को दी हुई है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य

ग्रामवासियों के शपथ पत्र/बयान लेकर निर्णय दिया है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के मुताबिक विवादग्रस्त आराजियात की खातेदारी रूड़ाराम रामचन्द्र हरिराम पुत्रगण पन्ना हि.ब. कोम माली सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी/सहखातेदार रामचन्द्र, हरिराम पुत्रगण पन्ना द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन में भी अंकित किया है कि उक्त रास्ता विवाग्रस्त आराजियात में से पुस्तैनी काल से ही चला की ओर से नदी की ओर स्थित ढ़ाणियों के लोगो के लिये यह रास्ता विद्यमान था, परन्तु सहखातेदार रूड़ाराम ने उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के सम्बंध में अप्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन को रिकॉर्ड पर लिया जाकर बन्द रास्ते को खुलवाने हेतु विस्तृत निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। **अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।** प्रकरण से सम्बंधित प्रार्थी छगनलाल ने आवेदन पत्र बाबत कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट प्रकरण संख्या 78/2018 अनुवानी छगनलाल बनाम रूड़ाराम पेश किया। आवेदन कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट पेश कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2017 के प्रभावी रहते हुये अप्रार्थीगण द्वारा सार्वजनिक रास्ते को अवरूद्व करने पर उन्हे कारावास से दण्डित किये जाने व प्रार्थी के आवागमन के सार्वजनिक रास्ते को दुरूस्त करवाया जाकर पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु पेश किया। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.05.2017 को पारित आदेश में अंकित किया गया है कि फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 19.05.2017 के अनुसार मौके पर रास्ता तहसीलदार खण्डेला के आदेश दिनांक 15.05.2017 की पालना में खुलवाया गया है और अब कोई अवरोध नहीं है। वकील अपीलांट(रूड़ाराम) द्वारा भी इसी स्थिति (मौका रिपोर्ट दिनांक 19.05.2017 अनुसार) को यथास्थिति में रखे जाने हेतु प्रार्थना की गई। तद्नुसार स्थगन आदेश जारी किया गया। आवेदन कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2017 में अप्रार्थीगण द्वारा बाधा उत्पन्न किये जाने पर पेश किया गया है, जबकि स्थगन आदेश अपीलार्थी रूड़ाराम द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 19.05.2017 की यथास्थिति कायम रखने हेतु निवेदन किये जाने पर जारी किया गया। अतः आवेदन पत्र कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट के सम्बंध में अपीलार्थी को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.2017 के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 19.05.2017 को की गई कार्यवाही में बाधा उत्पन्न नहीं करे। तहसीलदार खण्डेला इसकी पालना सुनिश्चित करावें।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/1/20

(जय प्रकाश)

अति. जिला कलक्टर, सीकर

अति0 जिला कलक्टर, सीकर